कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 678/73-सम0-2024-388/2024 लखनऊः दिनांक- 04 अक्टूबर, 2024 का संलग्नक

उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इण्टरप्राइज़ इकोसिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना (यूपीएग्रीज़) का विस्तृत विवरण:-

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी दो तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा उसकी आजीविका कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से जुड़े कार्यों पर निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि सेक्टर का अहम योगदान है। वर्तमान में राज्य के कुल सकल मूल्य संवर्धन में प्राथमिक सेक्टर का लगभग 25% का योगदान है। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 243.20 लाख हे0 है, जिसमें कृषि के अन्तर्गत 165.70 लाख हे0 (68.13 %) तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 141.40 लाख हे0 (86.33 %) है।

विश्व में कुल भूभाग का 10% क्षेत्रफल कृषि के अन्तर्गत है, भारत में लगभग 45% भूमि कृषि के अन्तर्गत है, जबकि उत्तर प्रदेश में 68% भूमि कृषि के अन्तर्गत है।

कृषि में सबसे महत्वपूर्ण इनपुट सिंचाई की व्यवस्था होती है। विश्व में मात्र 21% कृषि भूमि सिंचित है। भारत में 55% कृषि भूमि सिंचित है, जबकि उत्तर प्रदेश में 87% कृषि भूमि सिंचित है। उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए 'कृषि में पावर हाउस' के रूप में स्थापित होने की क्षमता रखता है।

उत्तर प्रदेश गेहूँ, चावल, गन्ना, आलू, दूध, फल व सब्जी के उत्पादन में देश में प्रमुख स्थान रखता है। गेहूँ, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज, मांस और शहद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, भारत में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादन में भारत के लगभग 15% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है, इसी प्रकार फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश 11% की हिस्सेदारी के साथ भारत में उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, यद्यपि कुल उत्पादन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में फसल, सब्जी एवं फल का उत्पादन अधिक है किन्तु आर्थिक दृष्टिकोण से किसानों की आमदनी बढाने हेतु आवश्यक औसत उत्पादकता में वृद्धि, प्रसंस्करण और निर्यात की अत्यधिक आवश्यकता व संभावना है। प्रसंस्कृत सब्जियों के निर्यात में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 5% एवं प्रसंस्कृत फलों के निर्यात में हिस्सेदारी मात्र 0.4% है। इसी प्रकार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 20 % है किन्तु प्रमुख फसलों की औसत उत्पादकता भारत के अग्रणी राज्यों से कम है।

कतिपय प्रमुख फसलों की प्रदेश में, भारत में उत्पादकता और अग्रणी राज्यों के साथ उनका तुलनात्मक विवरण निम्नांकित सारिणी -1 में द्रष्टव्य है :-

(सारिणी-1)

		उत्पादकता (कु0 / हे0)			
क्रम	फसल	भारत	उत्तर प्रदेश	उच्चतम उत्पादकता	अग्रणी राज्य
1	चावल	27.13	27.59	43.66	पंजाब
2	गेहूँ	34.64	36.04	48.62	पंजाब
3	ज्वार	11.28	15.78	30.7	आंध्र प्रदेश
4	बाजरा	14.36	22.21	23.72	हरियाणा
5	मक्का	31.95	23.31	68.2	तमिलनाडु
6	उड़द	4.52	4.98	5.68	महाराष्ट्र
7	मूँग	4.07	3.58	5.55	महाराष्ट्र
8	चना	12.17	13.76	15.68	गुजरात
9	अरहर	8.92	9.88	11.38	झारखण्ड
10	मसूर	10.01	9.88	11.39	मध्य प्रदेश
11	अन्य दलहन	8.92	10.79	12.75	गुजरात
12	तिल	4.13	2.26	9.74	पश्चिम बंगाल
13	सरसों	15.11	14.12	20.27	हरियाणा
14	अन्य तिलहन	12.54	10.54	20.73	तमिलनाडु

सारिणी-1 के परिशीलन से स्पष्ट है की राज्य में फसलों की औसत उत्पादकता को बढ़ाये जाने की अत्यधिक संभावना है। उत्तर प्रदेश के 81% कृषक सीमान्त एवं 12% कृषक लघु श्रेणी अन्तर्गत आते हैं, जिनकी औसत जोत क्रमशः 0.40 हे0 एवं 1.40 हे0 है। औसत जोत कम होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तथा पूंजी के अभाव में इस श्रेणी के कृषकों द्वारा खेती में पर्याप्त निवेश भी नहीं किया जाता है। इस कारण इनके द्वारा उगायी जाने वाली फसलों का उत्पादन/ उत्पादकता का स्तर अपेक्षाकृत कम है। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों से कम आय प्राप्त होने के कारण कृषक परिवारों का पलायन शहरी क्षेत्रों में हो रहा है। आर्थिक रूप से सक्षम कृषकों की अगली पीढ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त कर कृषि से इतर क्षेत्रों में कार्य करने को प्राथमिकता दे रही है जिसके कारण ग्रामीण अंचलों में अनिवासी कृषकों (Absentee landlords) की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश की लगभग 24 करोड़ तथा भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों को लाभदायक एवं आकर्षक बनाये रखने हेतु यथा सम्भव प्रयास किए जायें, जिससे

कृषि क्षेत्र से हो रहे पलायन को कम किया जा सके एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें।

औसत उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ कृषि सेक्टर में बेहतर मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ाये जाने हेतु न केवल संरचनात्मक व्यवस्थाओं को विकसित करने की आवश्यकता है बल्कि उत्तर प्रदेश स्तर पर इससे जुड़े सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देकर एक प्रवर्तक की भूमिका के रूप में नीतिगत कार्यक्रम को संचालित किये जाने की भी आवश्यकता है।

यू0पी0 एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इण्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेन्थनिंग (यूपीएग्रीज) परियोजना के माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की कमियों को चिन्हित कर प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि के साथ ही विशिष्ट कृषि उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट / मूल्य संवर्धन गतिविधियों एवं मार्केट सपोर्ट सिस्टम का विकसित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना द्वारा कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों हेतु भण्डारण / खाद्य प्रसंस्करण और इससे सम्बंधित सहवर्ती अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन सृजित किये जायेंगे, जिससे कृषकों की आय में अपेक्षित वृद्धि होगी।

2. उद्देश्य

यूपी एग्रीज परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट (यूपी डास्प) संस्था द्वारा कृषकों (सीमान्त एवं लघु कृषकों को प्राथमिकता देते हुए), मत्स्य पालकों एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों को केन्द्रित करते हुए उनके समावेशी विकास हेतु संचालित की जाएगी। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों के आलोक में नवीनतम कृषि तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर कृषकों के समूह/ क्लस्टर के माध्यम से कृषि लागत में कमी एवं उत्पादकता में सतत् वृद्धि कर कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के समग्र विकास एवं प्रभावी मूल्य संवर्धन व उद्यमों को विकसित करने हेतु परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है:-

1- जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत अनुकूल कृषि पद्धतियों से प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि करना एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना।
2- उच्च मूल्य / विशिष्ट कृषि उत्पादों के क्राप क्लस्टर्स को सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (Centre of Excellence) के रूप में विकसित करना
3- कृषक समूहों/कृषक उत्पादक संगठनों, मत्स्य पालकों एवं महिला कृषि उद्यम समूहों के माध्यम से कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, प्रसंस्करण एवं भण्डारण तथा अन्य मूल्य संवर्धन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

4- स्थानीय स्तर पर कृषि आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना / सुदृढ़ीकरण एवं रोज़गार के अवसर सृजित करना।

5- कृषि उत्पादों के लाभदायक मूल्य पर विक्रय व्यवस्था हेतु सुदृढ़ मार्केट सपोर्ट सिस्टम का विकास करना। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक संरचनाओं का विकास व संचालन।

6- प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से सम्बन्धित हितधारकों के लिए सूचनाओं के सुगम आदान-प्रदान हेतु डिजिटल एग्रीकल्चर इको सिस्टम एवं सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म की स्थापना।

7- जेवर एयरपोर्ट के पास एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना।

8- फसलों की उत्पादकता में 30-50% की बढोतरी।

9- 2 से 3 उपज का बड़े पैमाने पर निर्यात, कृषि एसईजेड की स्थापना।

10-विश्व स्तरीय कार्बन क्रेडिट मार्केट की स्थापना।

11-स्थानीय मौसम स्टेशनों के आधार पर किसानों को वास्तविक समय (रियल टाइम) मौसम सूचना और बाज़ार मूल्य सुझाव (एडवाइज़री)।

12- 500 किसानों को सर्वोत्तम कृषि तकनीकी को देखने के लिए विदेशों में भ्रमण के लिए भेजा जायेगा।

13-2 से 3 विश्व स्तरीय हैचरी की स्थापना।

14-मत्स्य पालन क्षेत्र की उत्पादकता/प्रोसेसिंग व मार्केटिंग बढ़ाना तथा टैंक/बायोफ्लाक में मत्स्य पालन कराया जाना।

15-कृषि एवं प्रसंस्करण में महिला समूहों को सशक्त बनाना।

16-कृषि क्षेत्र में ऋण बढ़ाना, विशेषकर दीर्घकालिक।

3.परियोजना का कार्यक्षेत्र -

यद्यपि इस परियोजना में विकसित तकनीक और संस्थागत सुधारों का सकारात्मक प्रभाव और लाभ समूचे प्रदेश की कृषि अर्थव्यस्था पर होगा तथापि विशिष्ट रूप से भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में परियोजना का क्रियान्वयन लक्षित किया गया है जिसमें प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के झांसी व चित्रकूटधाम मण्डल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के विन्ध्याचल, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती एवं देवीपाटन मण्डल के समस्त 28 जनपद सम्मिलित हैं।

परियोजनान्तर्गत चिन्हित जनपदों में प्रमुख फसलों की औसत उत्पादकता तुलनात्मक दृष्टि से कम है। साथ ही इन जनपदों में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं मूल्य संवर्धन हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर व सुविधाओं का अभाव होने के कारण कृषकों को उनके कृषि उत्पादों का उचित मूल्य भी नहीं प्राप्त हो रहा है। परियोजना द्वारा प्रमुख फसलों की उत्पादकता का स्तर प्रदेश एवं देश के उच्च उत्पादकता वाले जनपदों के समकक्ष लाने हेतु आवश्यक कृषि तकनीकी, मृदा

सुधार व पर्याप्त निवेश व्यवस्था, भण्डारण एवं खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास तथा समुचित बाजार व्यवस्था किया जाना सम्मिलित है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों में से 07 जनपद यथा- चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर एवं श्रावस्ती परियोजनान्तर्गत चयनित हैं। परियोजनान्तर्गत चयनित जनपदों का विवरण निम्नवत है:-

चयनित राजस्व मण्डल/जनपद

(सारिणी-2)

क्रम	राजस्व मण्डल	जनपद
1	झांसी	झांसी, ललितपुर एवं जालौन।
2	चित्रकूटधाम	चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर एवं महोबा
3	विंध्याचल	मिर्जापुर,सोनभद्र एवं भदोही
4	वाराणसी	वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर एवं जौनपुर
5	गोरखपुर	गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज एवं कुशीनगर
6	आजमगढ़	आजमगढ़, मऊ एवं बलिया
7	बस्ती	बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संतकबीरनगर
8	देवीपाटन	गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर

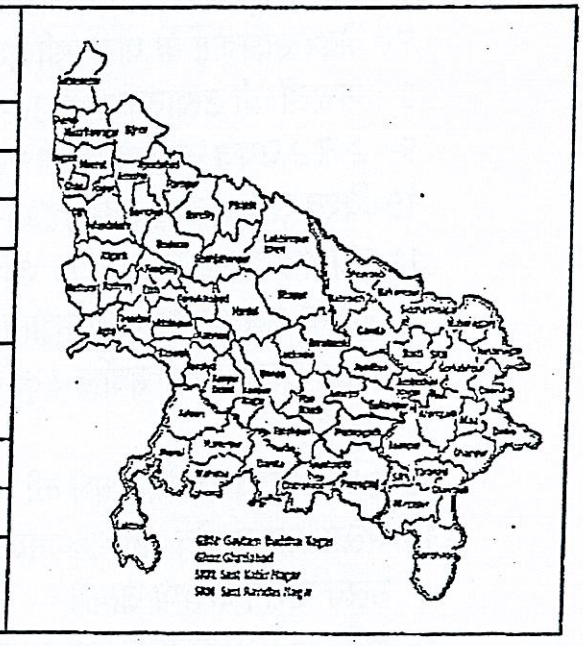

4. परियोजना का स्वरूप -

(अ) वित्तीय स्वरूप -

यूपीएग्रीज परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कम उत्पादकता वाले चयनित जनपदों में विश्व बैंक के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 (06 वर्ष) की अवधि में क्रियान्वित की जायेगी।

यूपीएग्रीज की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट दिनाँक 21 दिसंबर 2021 को विशेष सचिव, एमएसएमई, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई ।

उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इण्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेन्थनिंग प्रोजेक्ट की प्रारम्भिक रिपोर्ट आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कन्ट्री डायरेक्टर विश्व बैंक को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बाह्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 12 सितंबर 2022 को प्रेषित की गई।

पत्र संख्या-4/1/2022-विश्व बैंक दिनांक 12.09.2022 द्वारा विश्व बैंक सहायतित परियोजना "उ0प्र0 एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूलर इन्टरप्राइजेज इको सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग प्रोजेक्ट (यूपीएग्रीज)" से सम्बन्धित प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया तथा विश्व बैंक से 350 मिलियन यूएस डालर की वाह्य सहायता के लिए सहमति दी गई है।

कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 108/एपीसी/2022 दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 द्वारा सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट प्रीपेरेशन टीम का गठन किया गया।

समन्वय विभाग उ0प्र0 शासन के पत्रांक 646/73-सम-2023 दिनांक 20.10.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इण्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेन्थनिंग (विश्व बैंक सहायतित) संचालन/समन्वय तथा अन्य सुसंगत प्रकरणों में विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी समस्त कार्य यूपीडास्प लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

परियोजना के विश्व बैंक द्वारा एप्रेजल (Appraisal), और इस विषय में भारत सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य एग्रीमेंट से पूर्व निगोसिएशन करते हुए वित्तीय सीमा रुपये 4000 करोड़ के अंतर्गत ही अंतिम रूप से ऋण और परियोजना के आकार की धनराशि का निर्धारण किया जायेगा ।

परियोजना हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के आय व्ययक के अनुदान संख्या-11, लेखाशीर्ष 2401- फसल कृषि कर्म,109-विस्तार एवं कृषकों को प्रशिक्षण, 97-वाह्य सहायतित परियोजनायें, 9702-यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इन्टरप्राइज इकोसिस्टम (यूपीएग्रीज) परियोजना (विश्व बैंक सहायतित) के अन्तर्गत बजट प्रावधान कर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष (2024-25) के आय-व्ययक में परियोजना हेतु रूपये 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है। आवंटित धनराशि के व्यय उपरान्त प्रतिपूर्ति हेतु दावा विश्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार के माध्यम से प्रदेश शासन को उपलब्ध कराई जायेगी ।

परियोजना का वित्तीय स्वरूप निम्नानुसार है :-

विभाग	: समन्वय विभाग (उत्तर प्रदेश डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, यूपीडास्प)
अनुदान संख्या	: 11-कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)
लेखा शीर्ष	: 2401-फसल कृषि कर्म 109-विस्तार एवं कृषकों को प्रशिक्षण 97-वाह्य सहायतित योजनायें 9702-यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इन्टरप्राइज

इकोसिस्टम स्ट्रेन्थेनिंग (यूपीएग्रीज) (विश्व बैंक सहायतित) परियोजना

फाइनेसिंग पैटर्न	:	विश्व बैंक 70 प्रतिशत एवं राज्यांश 30 प्रतिशत
परियोजना अवधि	:	2024-2030 (6वर्ष)
परियोजना लागत	:	US$ 482 मिलियन (RS. 4000 करोड़)
विश्व बैंक ऋण	:	US$ 338 मिलियन (RS. 2737 करोड़)
राज्य सरकार का अंश	:	US$ 144 मिलियन (RS. 1166 करोड़)
लाभार्थी	:	कृषक, कृषक समूह एवं कृषि MSMEs
ऋण वापसी अवधि	:	35 वर्ष
मोरेटोरियम पीरियड	:	7 वर्ष
ब्याज दर	:	1.23%

परियोजना का वर्षवार वित्तीय विवरण:- यूपीएग्रीज प्रोजेक्ट वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रारम्भ होकर वित्तीय वर्ष 2029-30 तक क्रियान्वयन हेतु 482 मिलियन यू.एस. डालर का व्यय अनुमानित है, जिसमें 70 प्रतिशत अंशदान विश्व बैंक द्वारा (338 मिलियन यू.एस. डालर या लगभग रु. 2737 करोड़) एवं 30 प्रतिशत का अंशदान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (144 मिलियन यू.एस. डालर या लगभग रु. 1166 करोड़) किया जाना प्रस्तावित है।

(धनराशि रु करोड़ में)

(क) आवर्तक व्यय							
मद	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	**योग**
31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	10.00	10.50	11.00	11.50	12.00	11.50	66.50
58 आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	30.00	31.50	33.00	33.50	34.00	33.50	195.50
योग (क)	40.00	42.00	44.00	45.00	46.00	45.00	262.00
ख अनावर्तक व्यय							
20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	360.00	558.00	756.00	755.00	754.00	555.00	3738.00
महायोग	400.00	600.00	800.00	800.00	800.00	600.00	4000.00

यूपीएग्रीज, प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अनुमोदित पीआईपी एवं कास्ट टेबिल के आधार पर व्यय किये जायेंगे।

(ब) भौतिक स्वरूप

प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादकता को क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम के माध्यम से बढ़ाने, क्राप-क्लस्टरों के गठन के माध्यम से उत्पादन लागत में कमी लाने, कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म एवं सम्बन्धित तकनीकों को विकसित करने तथा परियोजना प्रबन्धन प्रणाली एवं विभिन्न प्रतिष्ठित कृषि संस्थानों का नालेज पार्टनरशिप में समुचित समन्वय के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है। कृषि सेक्टर से जुड़े राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों, सम्बंधित विभागों, कृषि वैज्ञानिको, कृषि क्षेत्र के उन्नत कृषकों एवं प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाले प्रोग्रेसिव कृषकों के साथ-साथ कृषक उत्पादक समूहों, वित्तीय संस्थानों, मार्केटिंग से जुड़े संस्थानों आदि अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ व्यापक कंसल्टेशन करते हुए परियोजना क्षेत्र के जनपदों में विस्तृत रूप से स्थलीय भ्रमण कर और विश्व बैंक के विशेषज्ञों द्वारा किये गए गहन अध्ययन आदि के आधार पर इस परियोजना में निम्नवत् प्रमुख घटक चिन्हित किये गए है -

यूपीएग्रीज-कम्पोनेंट्स		
1	**उत्पादकता वृद्धि**	
	1.1	संसाधन उपयोग दक्षता
	1.2	बीज व्यवस्था
	1.3	कृषि प्रसार
	1.4	क्लाइमेट एक्शन मैकेनिज्म का लाभ
	1.4.1	CGEMMA-एशिया में प्रथम का गठन
	1.4.2	स्वैच्छिक कार्बन बाजार में भागीदारी
2	**कमोडिटी क्लस्टर (20,000 हे०)**	
	2.1	क्राप क्लस्टर
	2.2	मत्स्य (20,000 हे0 ग्राम तालाब और 56,200 हे० जलाशय)
3	**डिजीटल एवं वित्तीय इकोसिस्टम**	
	3.1	डिजीटल आर्किटेक्चर और प्रोद्योगिकी सेवायें
	3.2	कृषि वित्त इकोसिस्टम
4	**परियोजना प्रबन्धन, प्रशिक्षण एवं पार्टनरशिप**	
5	**आकस्मिक आपातकालीन व्यवस्था**	

(1)- उत्पादकता वृद्धि

परियोजना कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सृजित क्लस्टरों में प्रत्येक 20 हेक्टेयर पर 01 फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाया जायेगा, जो परियोजना गतिविधियों में सहभागी होगें।

परियोजना प्रारम्भ होने पर फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप के कृषक सदस्यों को कृषि विस्तार के माध्यम से परियोजना की गतिविधियों से अवगत कराया जायेगा। कृषकों के खेतों का सर्वे कराते हुए यथावश्यक लेजर लेवलिंग की जायेगी। साथ ही जल के इष्टतम प्रयोग के दृष्टिगत सिंचाई प्रणाली में यथावश्यक ड्रिप/स्प्रिंकलर पद्धति के प्रयोग किये जाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करते हुए यथावश्यक सहयोग किया जायेगा। कृषकों के खेतों की मृदा जांच करायी जायेगी, जिसके आधार पर यथावश्यक गतिविधियाँ एवं निवेश किये जायेंगे।

कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम अन्तर्गत कृषको को पर्यावरण अनुकूल कृषि कार्यों को भी अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सके। कान्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था बनायी जायेगी।

(2)- कमोडिटी क्लस्टर

इस घटक के अन्तर्गत क्राप क्लस्टर के माध्यम से उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन, वैल्यू चेन विकसित करने एवं प्रसंस्कृत उत्पादों के विपणन / निर्यात हेतु वातावरण व अवस्थापना संरचनाओं को सृजित व संचालित करने के कार्यक्रम क्रियान्वित किये जायेंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें कृषि तकनीकी प्रदाता, अनुसंधान एवं प्रसार संस्थान, कृषि निवेश प्रदाता, प्रसंस्करण/ भण्डारण/ पैकेजिंग/ परिवहन आदि से सम्बन्धित उद्यमी एवं व्यापारी/ निर्यातक सम्मिलित होंगे। परियोजनान्तर्गत जनपद झांसी में मूंगफली, ललितपुर में उर्द, जालौन में हरी मटर, वाराणसी/भदोही में सब्जी एवं सिद्धार्थनगर/ गोरखपुर में काला नमक चावल के क्राप-क्लस्टर्स पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

जनपदों में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज, मत्स्य आहार की उपलब्धता एवं नवीनतम मत्स्य उत्पादन तकनीकी के प्रचार प्रसार के माध्यम से मत्स्य पालकों की क्षमता विकास के साथ-साथ पोस्ट हार्वेस्ट एवं विपणन सुविधाओं का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। इस घटक के अन्तर्गत मत्स्य उत्पादक समूहों का गठन करते हुए 28 जनपदों के विभिन्न विकास खण्डो के ग्रामों में स्थित तालाबों के 20,000 हे0 क्षेत्रफल एवं 37 जलाशयों के 56,200 हे0 जल क्षेत्र में कार्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य फसल व क्लस्टर भी लिये जा सकते हैं।

(3)- डिजीटल एवं वित्तीय इकोसिस्टम

इस कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम एवं सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म को विकसित करने तथा एग्री-फाइनेन्स इको सिस्टम को सुदृढ़ करने एवं रिमोट सेन्सिंग के माध्यम से क्राप सर्वे कार्यक्रम लिए गए हैं। इस घटक के अंतर्गत राज्य द्वारा पूर्व से संचालित कार्यक्रमों यथा टेक्नोलाजी बेस्ड क्राप एक्रीएज एवं यील्ड एस्टीमेशन, एग्री स्टैक

परियोजना, पारदर्शी किसान पोर्टल, ई-नाम, खाद और बीज ट्रैकिंग आदि अन्य डिजिटल एवं इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से विकसित विभिन्न आई. टी. प्लेटफोर्म को एक समग्र रूप में संयोजित करते हुए विकसित कर और सदुपयोगी बनाने के साथ-साथ वृहद् रूप से कृषि सेक्टर में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने का कार्य किया जायेगा, जिससे विकसित डिजिटल कृषि प्लेटफार्म का प्रभाव और उपयोग का लाभ न केवल परियोजना में चयनित क्षेत्र और जनपद को होगा बल्कि समूचे राज्य स्तर पर इस घटक का सीधा लाभ होगा।

इस घटक के अन्तर्गत डिजिटल कृषि तंत्र के माध्यम से कृषक, कृषि उत्पाद, प्रसंस्करण, विपणन आदि से सम्बन्धित समस्त सरकारी व निजी क्षेत्र के हितधारकों के मध्य सूचनाओं के सुगम आदान-प्रदान हेतु विकसित किया जायेगा। डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से कृषि एवं सहवर्ती विभागों की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में मदद मिलेगी तथा कृषकों को इनका लाभ सुगम एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकेगा।

इस घटक के अन्तर्गत एग्री-फाइनेन्स इकोसिस्टम के माध्यम से छोटे कृषकों, कृषक समूहों/कृषक उत्पादक समूहों एवं सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी के उद्यमों तक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को सुगम बनाने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही परियोजना अन्तर्गत लक्षित कार्यक्रमों को गति प्रदान करने एवं निजी क्षेत्र के उद्यमियों को कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित करने हेतु वित्तीय सुविधायें यथा वैकल्पिक निवेश फण्ड, डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड, मैचिंग ग्राण्ट आदि का प्राविधान प्रस्तावित है। इस घटक में कृषकों को रियल टाइम माइक्रोलेवल सूचना मौसम एवं मूल्य के विषय पर दी जायेगी।

(4)- परियोजना प्रबन्धन, प्रशिक्षण एवं पार्टनरशिप

परियोजना प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यक्रम जिनमें मानव संसाधन एवं परियोजना के क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे। कृषि क्षेत्र के विशिष्ट संस्थानों यथा प्रदेश स्थित कृषि विश्वविद्यालय, आई.आई.टी कानपुर, भारतीय प्रबन्ध संस्थान,लखनऊ, अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, वाराणसी आदि को टेक्नोलाजी पार्टनर के रूप में समन्वय स्थापित कर तकनीकी सहयोग एवं क्षमता विकास / प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागी बनाया जायेगा।

5. परियोजना के लाभार्थी -

प्रस्तावित परियोजना के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के कृषकों की आय में वृद्धि करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास किया जाना लक्षित है। प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले वर्ग निम्नवत् हैं-

i. परियोजना क्षेत्र के समस्त कृषक।
ii. कृषक उत्पादक समूह /कृषि उत्पादक संगठन एवं अन्य।

iii. पट्टाधारक मत्स्य पालक/मत्स्यजीवी सहकारी समितियां /निजी तालाब के मत्स्य पालक व अन्य।

iv. उद्यमी /कृषि/मत्स्य उद्यमी/ महिला उद्यमी समूह इत्यादि।

v. कुशल एवं अकुशल कृषि श्रमिक।

vi. कृषि क्षेत्र से जुड़े इन्टरप्रेन्योर एवं निर्यातक।

6. परियोजना क्रियान्वयन-

राज्य में कृषि सेक्टर में पूर्व में विश्व बैंक सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वन हेतु यूपीडास्प संस्था, उत्तर प्रदेश के माध्यम से संचालन करने का अनुभव विद्यमान है।समन्वय विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 839/सम-73-2014 दिनांक 16.06.2014 द्वारा प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प को प्रदेश में कृषि विविधीकरण कार्यों हेतु नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। यूपीडास्प के मैमोरेन्डम ऑफ एसोसियेशन एण्ड रूल्स से उद्धरित उद्देश्य निम्नवत् प्रस्तुत है:

The objective of PCU, U.P.DASP is to support the Government of U.P.in its efforts to promote sustainable agricultural growth with employment generation and poverty alleviation through the process of agricultural diversification in the State.

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-646/73-सम-2023 दिनाँक 20.10.2023 द्वारा यूपीएग्रीज परियोजना का क्रियान्वयन यूपीडास्प संस्था द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यूपीडास्प मुख्यालय स्तर पर परियोजना का प्रबन्धन यूपीडास्प हेतु सृजित प्रशासकीय पदों द्वारा विभिन्न विषयवस्तु विशेषज्ञों के सहयोग से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन करते हुए किया जायेगा।

जनपद स्तर पर जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्थापित की जायेगी तथा परियोजना प्रबन्धक एवं उप प्रबन्धक, वित्त के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी तैनात किये जायेगे।

यूपीडास्प मुख्यालय स्तर एवं जनपद स्तर पर विशेषज्ञ एवं सहयोगी कार्मिकों की व्यवस्था प्रतिनियुक्ति अथवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी। परियोजना क्रियान्वयन हेतु यूपीडास्प में सृजित पदों के अतिरिक्त कोई अन्य स्थायी पद सृजित नहीं किये जायेंगे।

परियोजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की किसी अन्य योजना के कार्यक्रमों/कम्पोनेन्ट्स से द्विरावृत्ति न हो, के संबंध में समुचित सेफगार्ड की व्यवस्था करते हुए

द्विरावृत्ति रोकने के लिए SOP का गठन किया जायेगा। कार्ययोजना के पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिवर्ष किसानों पर योजना का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन कराया जायेगा। योजना के फलस्वरूप बढ़ी हुई उत्पादकता और उत्पादन के आंकड़ों को वास्तविक रूप में प्राप्त किये जाने हेतु सुदृढ़ व्यवस्था विभागीय डैशबोर्ड में बनाई जायेगी, जिसका रिफ्लेक्शन राज्य की आय में प्रदर्शित होगा तथा भारत सरकार के पोर्टल पर भी ससमय उक्त आंकड़ों को फीड किया जायेगा।

7. परियोजना की प्रगति समीक्षा, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

परियोजना के प्रभावी संचालन के लिए राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी एवं प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी तथा जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया जायेगा, जिनका विवरण निम्नांकित है -

7.1 प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी -

इस समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जायेगा, निम्नांकित पदाधिकारी प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य होंगे -

1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समन्वय, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मत्स्य, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विपणन/मण्डी, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
12	महानिदेशक, उपकार	सदस्य
13	निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश	सदस्य

14	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश	सदस्य
15	निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश	सदस्य
16	निदेशक, मण्डी/विपणन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
17	परियोजना समन्वयक, यूपीडास्प	सदस्य सचिव

यह समिति परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रणनीति एवं नीति-निर्धारण तथा वार्षिक बजट व्यवस्था सहित कार्ययोजना का अनुमोदन करेगी। इसके अतिरिक्त परियोजना के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्रगति का अनुश्रवण एवं समीक्षा करेगी। समिति परियोजना के सुचारू संचालन के दृष्टिगत यथावश्यक संशोधन करने के लिए भी सक्षम होगी। इसके अतिरिक्त यह समिति अन्तर्विभागीय समस्याओं के निराकरण एवं नीति विषयक प्रकरणों के निस्तारण सम्बन्धी कार्यों को निष्पादित करेगी। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक 06 माह में एक बार आयोजित की जायेगी।

7.2 प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी –

राज्य स्तर पर परियोजना की प्रगति के सम्बन्ध में आंतरिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त,उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट कार्यकारिणी समिति (प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी) का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी सदस्य होंगे:-

1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समन्वय, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मत्स्य, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विपणन/मण्डी, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य

11	महानिदेशक, उपकार	सदस्य
12	निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश	सदस्य
14	निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश	सदस्य
15	निदेशक, मण्डी/विपणन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
16	परियोजना समन्वयक, यूपीडास्प	सदस्य सचिव

यह समिति परियोजना के पर्यवेक्षण, मार्ग-निर्देशन, प्रशासनिक व्यवस्था एवं नियोजन सहित परियोजना गतिविधियों के संचालन और उसकी प्रगति की नियमित अन्तराल पर समीक्षा करेगी। इसकी बैठक 04 माह में एक बार आयोजित की जायेगी।

7.3 डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी

जनपद स्तर पर परियोजना का वार्षिक एक्शन प्लान, प्रगति समीक्षा, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा, जिनके पदाधिकारी निम्नवत होंगेः

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप कृषि निदेशक	सदस्य
3	प्रभारी कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
4	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
5	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
6	भूमि संरक्षण अधिकारी	सदस्य
7	कृषि रक्षा अधिकारी	सदस्य
8	सहायक निदेशक मत्स्य	सदस्य
9	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	सदस्य
10	अग्रणी जिला प्रबन्धक, लीड बैंक	सदस्य
11	जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड	सदस्य
12	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
13	सचिव, कृषि उतपादन मण्डी समिति	सदस्य
14	कृषक उत्पादक संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य

15	कृषि/उद्यान/मत्स्य क्षेत्र के प्रगतिशील कृषक	सदस्य
16	प्रगतिशील महिला कृषक / उद्यमी	सदस्य
17	जिला परियोजना समन्वयक, यूपीडास्प	सदस्य सचिव

समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में आयोजित की जायेगी। गैर विभागीय सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष का होगा तथा इनका चयन जिलाधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा।

8. प्रमुख फसलों की उत्पादकता के वृद्धि के लक्ष्य

परियोजना के क्रियान्वयन से प्रमुख फसलो की उत्पादकता के स्तर में वृद्धि के लक्ष्य निम्नवत प्रस्तावित है :-

					उत्पादकता(कुं / हे0)
क्रम	फसल	आधार वर्ष 2022-23		परियोजनान्तर्गत छठे वर्ष (2029-30) में	
		परियोजना जनपदों की औसत उत्पादकता	प्रदेश की औसत उत्पादकता	उत्पादकता का लक्ष्य	औसत उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि
खरीफ फसले					
1	चावल	25.91	27.59	34.66	33
2	मक्का	13.01	23.31	36.00	176
3	उर्द	4.06	4.98	9.70	139
4	मूंगफली	11.44	11.43	16.00	40
5	तिल	1.59	2.26	5.00	214
रबी फसले					
6	गेहू	34.95	36.04	45.62	30
7	जौ	29.19	30.68	36.00	23
8	चना	13.77	13.76	18.50	34
9	मसूर	9.32	9.88	15.00	61
10	सरसों	11.70	14.19	20.27	71

9. परियोजना के परफार्मेंस इंडीकेटर

i. प्रमुख फसलों की उत्पादकता के स्तर में गुणात्मक सुधार।

ii. मृदा में जीवांश कार्बन की मात्रा में वृद्धि एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी।

iii. कृषि उद्यमी /मत्स्य उद्यमी/ महिला उद्यमी समूह को सशक्त बनाकर बाजार की मांग के अनुरूप कृषि उत्पादों का उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन।

iv. क्राप-क्लस्टर्स के माध्यम से उच्च गुणवत्ता/मूल्य के कृषि उत्पादों के उत्पादन, वैल्यू चेन हेतु उद्योगों की स्थापना एवं प्रभावी मार्केट सपोर्ट सिस्टम से विपणन/ निर्यात।

v. डिजीटल एग्रीकल्चर प्लेटफार्म के माध्यम से कृषकों, सरकारी विभाग/संस्थान व निजी क्षेत्र के मध्य समन्वय व सूचनाओं का सुगम आदान प्रदान।

vi. कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना तथा इसके लिये एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना।